न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास–श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 423 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
राधेश्याम पुत्र गोविन्दराम जाति–ब्राह्मण (चाण्डा) निवासी–मलार तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फलोदी

वाद करवाने खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 15 ए ए ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 28.08.2019

वादी के वाद का सारांश इस प्रकार है कि वादी के गैर खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा सं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा लगान 0.45 रूपये किस्म बारानी चतुर्थ की सरहद ग्राम सियामाली पटवार हल्का मलार तहसील फलोदी में स्थित है, ग्राम मलार के खसरा सं. 523 में से 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी के भाई मुरलीधर पुत्र गोविन्दराम को आवंटित होकर गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई, तथा वादी के भाई के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 221 ग्राम मलार स्वीकृत होकर वादी के भाई को बतौर गैर खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज किया गया, आवंटन के पश्चात से निरन्तर वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादी के भाई का कब्जा काश्त रहा, तत्पश्चात वादी के भाई के देहान्त पर वसीयत के विरासत नामान्तरकरण सं. 97 ग्राम सियामाली द्वारा वादी को वादग्रस्त काश्त भूमि में बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख किया गया। वादी का वादग्रस्त काश्त भूमि में भाई के समय से अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने नाम उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार फलोदी को कई बार अनुरोध करने तहसीलदार, फलोदी को वादी के कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने का कई बार कहने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर वादीगण का यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश है, वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त तथा हक, हिस्सा एवं हित उक्त भूमि पर नहीं है। वादी राज्य सरकार के उपनिवेशन नियमों एवं विभाग की विज्ञप्ति की पालना में खातेदारी की सनद जारी करवाने की एवज में राशि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

जमा करवाने हेतु तत्पर है। वादी के वादग्रस्त काश्त भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार व हकूक स्वतः ही प्रोद्भूत हो चुके हैं। वादी ने दिनांक 21–5–2019 को प्रतिवादी के समक्ष पेश होकर अपने दस्तावेजात पेश कर वादग्रस्त काश्त भूमि को उसकी खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में होने से क्षेत्राधिकार में नहीं होना बताकर सक्षम न्यायालय में चाराजोही का कहने पर वादी का यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश है, अन्त में निवेदन किया कि वादी को ग्राम सियामाली पटवार हल्का मलार के खसरा सं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ आवंटन के बाद से वादी के भाई तथा वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आने से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी घोषणा करवायी जाकर खातेदारी के आदेश जारी करवाये जावे। राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार से खातेदार अंकित करवाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित आये जिन्होनें जवाबदावा पेश नहीं किया और अपनी बहस में बताया कि वाद में गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम मलार के खसरा सं. 523 में से 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी के भाई मुरलीधर पुत्र गोविन्दराम को आवंटित होकर गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई, तथा वादी के भाई के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 221 ग्राम मलार स्वीकृत होकर वादी के भाई को बतौर गैर खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज किया गया, आवंटन के पश्चात से निरन्तर वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादी के भाई का कब्जा काश्त रहा, तत्पश्चात वादी के भाई के देहान्त पर वसीयत के विरासत नामान्तरकरण सं. 97 ग्राम सियामाली द्वारा वादी को वादग्रस्त काश्त भूमि में बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख किया गया। वादी का वादग्रस्त काश्त भूमि में भाई के समय से अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने नाम उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार फलोदी को कई बार अनुरोध करने तहसीलदार, फलोदी को वादी के कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने का कई बार कहने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर वादीगण का यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश है, वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त तथा हक, हिस्सा एवं हित उक्त भूमि पर नहीं है। वादी राज्य सरकार के उपनिवेशन नियमों एवं विभाग की विज्ञप्ति की पालना में खातेदारी की सनद जारी करवाने की एवज में राशि जमा करवाने हेतु तत्पर है। वादी के वादग्रस्त काश्त भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार व हकूक स्वतः ही प्रोद्भूत हो चुके हैं। वादी ने दिनांक 21–5–2019 को प्रतिवादी के समक्ष

सहायक कलक्टर एवं ... (कोर्ट ...)

Scanned by CamScanner

पेश होकर अपने दस्तावेजात पेश कर वादग्रस्त काश्त भूमि को उसकी खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में होने से क्षेत्राधिकार में नहीं होना बताकर सक्षम न्यायालय में चाराजोही का कहने पर वादी का यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश है, अन्त में निवेदन किया कि वादी को ग्राम सियामाली पटवार हल्का मलार के खसरा सं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ आवंटन के बाद से वादी के भाई तथा वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आने से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी घोषणा करवायी जाकर खातेदारी के आदेश जारी करवाये जावे। राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार से खातेदार अंकित करवाया जावे।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर ग्राम मलार के नामान्तरकरण सं. 229 की प्रमाणित के अवलोकन से खसरा नं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि मुरलीधर पुत्र गोविन्दराम कौम ब्राह्मण को आवंटन होने से नामान्तरकरण गैर खातेदारी का स्वीकृत होना पाया जाता है आवंटी मुरलीधर पुत्र श्री गोविन्दराम द्वारा उक्त भूमि वादी राधेश्याम पुत्र गोविन्दराम को वसीयत करना दिनांक 2–9–2009 के पंजीकृत वसीयतनामा के अवलोकन से वसीयत किया जाना साबित है ग्राम सियामाली की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में वादग्रस्त खसरा नं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि के वसीयतनामा के नामान्तरकरण सं. 97 के जरिये वादी राधेश्याम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है आवंटी मुरलीधर और तत्पश्चात वादी वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त काश्त भूमि पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है जो फर्द मौका पैमाइश दिनांक 27–8–2009 के आधार पर कब्जा काश्त होना साबित है आवंटन से लेकर आज तक काश्त करने और कब्जा होने से वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना उचित है उपरोक्त विचारण एवं अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम सियामाली के खसरा नं. 523 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि में वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार फलोदी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में निर्णय का अमल दरामद करे डिक्री पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर फलोदी

Scanned by CamScanner